

आदेश

तिथि
Feb 24 2019

आदेश पर की
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा कुर्मीडीह थाना गोविन्दपुर

खाता	प्लॉट	रकबा
179	1150	0 एकड़, 3.9 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
मो० समसुद्दीन अंसारी	पिता	स्व० सुलेमान मियां उर्फ सुलतान मियां
मो० कुर्बान अंसारी	पिता	स्व० सुलेमान मियां उर्फ सुलतान मियां
हलीम अंसारी	पिता	स्व० कमरुद्दीन अंसारी
हासीम अंसारी	पिता	स्व० कमरुद्दीन अंसारी
समीम अंसारी	पिता	स्व० कमरुद्दीन अंसारी

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 5410 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रियत

रियत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
सुल तान मियां	पिता	फचु मियां

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है। अतः हल्का कर्मचारी/ अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल खारिज आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। तदानुसार शुद्धिपत्र निर्गत कर हल्का कर्मचारी से दो दिनों में अनुपालन प्रतिवेदन मांगे।

अतः वार्षिक लगान **10रुपये** अलावे सेस के साथ नामान्तरण स्वीकृत किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :
ANIL KUMAR
अंचलाधिकारी गोविन्दपुर